COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिक (विनियमन) अधिनियम, 2021

(2021 का अधिनियम संख्यांक 42)

[18 दिसम्बर, 2021]

सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिक क्लीनिकों और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण करने, जननीय स्वास्थ्य के मुद्दों का समाधान करने के लिए ऐसी सहायताप्राप्त प्रौद्योगिकी सेवाओं का सुरक्षित और नैतिक व्यवसाय के दुरुपयोग का निवारण करने जहां सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी माता-पिता बनने या युग्मक, भ्रूणों, भ्रूणीय ऊतकों का जनन अक्षमता या रोग या सामाजिक या चिकित्सीय मामलों के कारण और उपयोग हेतु प्रशीतन करने तथा अनुसंधान और विकास का विनियमन और पर्यवेक्षण करने के लिए या उससे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिक (विनियमन)अधिनियम, 2021 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(2) यह उस तारीख को प्रवृत होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी'' से उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों के साथ, ऐसी सभी तकनीक अभिप्रेत हैं, जो मानव शरीर के बाहर शुक्राणु या डिम्बाणुजन कोशिका संचालन करने और किसी स्त्री की जननीय प्रणाली में युग्मक या भ्रूण का अंतरण करके गर्भधारण करवाने का प्रयत्न करती है;

(ख) ''सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी बैंक'' से ऐसा कोई संगठन अभिप्रेत है जो युग्मकों के संग्रहण, युग्मकों और भ्रूणों के भंडारण तथा सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिकों या उनके रोगियों को युग्मकों के प्रदाय के लिए उत्तरदायी होगा;

(ग) ''सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिक'' से सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रक्रियाओं को करने हेत अपेक्षित सुविधाओं और भारत के राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों से सुसज्जित कोई परिसर अभिप्रेत है;

(घ) ''बालक'' से सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से जन्मा कोई व्यष्टि अभिप्रेत है;

(ङ) '' कमिशनिंग दंपत्ति'' से ऐसा जननअक्षम विवाहित दपंत्ति अभिप्रेत है जो किसी सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिक या सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी बैंक में, उक्त क्लीनिक या बैंक की प्राधिकृत सेवाएं अभिप्राप्त करने के लिए जाता है;

(च) ''भ्रूण'' से निषेचन के पश्चात्, निषेचन के दिन से छप्पन दिन की समाप्ति तक कोई विकसित हो रहा या विकसित मानव जीव अभिप्रेत है;

(छ) ''युग्मक'' से शुक्राणु और डिम्बाणुजन कोशिका अभिप्रेत है;

(ज) ''युग्मकदाता'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी जननअक्षम दंपत्ति या स्त्री को सन्तानोत्पति के लिए समर्थ बनाने के उद्देश्य से शुक्राणु या डिम्बाणुजन कोशिका उपलब्ध करवाता है;

(झ) ''स्त्रीरोग विशेषज्ञ'' का वही अर्थ होगा जो गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 में उसका है; 1994 का 57

(ञ) ''जननअक्षमता'' से किसी दंपत्ति के गर्भधारण करने की ऐसी जननअक्षमता अभिप्रेत है, जो एक वर्ष तक असुरिक्षत संभोग के पश्चात् या अन्य प्रमाणित चिकित्सीय दशा में उसे गर्भधारण करने से निवारित करता हो;

(ट) ''राष्ट्रीय बोर्ड'' से सरोगेसी अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित किया जाने वाला राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड अभिप्रेत है;

(ठ) ''राष्ट्रीय रजिस्ट्री'' से धारा 9 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी रजिस्ट्री अभिप्रेत है;

(ड) ''अधिसूचना'' से राजपत्र प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ढ) ''रोगी'' से ऐसा कोई व्यष्टि या दंपत्ति अभिप्रेत है जो जननअक्षमता के उपाय के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिक में आता है;

(ण) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(त) ''समुचित प्राधिकारी'' से धारा 12 के अधीन नियुक्त कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(थ) ''विनियमों' से इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत है;

(द) ''शुक्राणु'' से परिपक्व नर युग्मक अभिप्रेत है;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ध) ''राज्य बोर्ड'' से सरोगेसी अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड अभिप्रेत है;

(न) ''सरोगेसी अधिनियम'' से सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 अभिप्रेत हैं; और

(प) ''स्त्री'' से इक्कीस वर्ष की आयु से ऊपर की कोई ऐसी स्त्री अभिप्रेत है जो किसी सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिक या सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी बैंक'' द्वारा क्लीनिक या बैंक की प्राधिकृत सेवाएं अभिप्राप्त करने के लिए पहुंचती है।

(2) इस अधिनियम में आने वाले ''क्लीनिक और बैंक'' पदों का ''सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिक'' और ''सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी बैंक'' के रूप में अर्थ लगाया जाएगा।

(3) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है, किंतु सरोगीसी (विनियमन) अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमश: वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में उनके हैं।

अध्याय 2

सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी को विनियमित करने वाले प्राधिकारी

अ. राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड

राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड।

3. सरोगेसी अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित किया जाने वाला राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड होगा।

राष्ट्रीय बोर्ड के संबंध में सरोगेसी अधिनियम के उपबंधों का लागू होना।

4. इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए,—

(i) राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड का गठन;

(ii) राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्यों की पदावधि;

(iii) राष्ट्रीय बोर्ड की बैठकों;

(iv) रिक्तियों आदि से राष्ट्रीय बोर्ड की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होने;

(v) राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हताएं;

(vi) विशिष्ट प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड के साथ व्यक्तियों को अस्थायी रूप से सहयोजित करने;

(vii) राष्ट्रीय बोर्ड के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन; और

(viii) पुनर्नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्यों की पात्रता,

से संबंधित सरोगेसी अधिनियम के उपबंध, जहां तक उनका संबंध सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी से है, यथावश्यक परिवर्तन सहित सरोगेसी के संबंध में वैसे ही लागू होंगे मानो वे इस अधिनियम के अधीन अधिनियमित हों।

राष्ट्रीय बोर्ड की शक्तियां और कृत्य।

5. राष्ट्रीय बोर्ड निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:—

(क) सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी से संबंधित नीति संबंधी विषयों पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देना;

(ख) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन और मानीटर करना तथा केन्द्रीय सरकार को उनमें कोई उपयुक्त परिवर्तन करने के लिए सिफारिश करना;

(ग) क्लीनिकों और बैंकों में काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली आचार संहिता अधिकारिता करना, भौतिक अवसंरचना, प्रयोगशाला और नैदानिक उपस्कर तथा क्लीनिकों और बैंकों द्वारा नियोजित किए जाने वाले विशेषज्ञ मानव शक्ति के लिए न्यूनतम मानक निश्चित करना;

(घ) अधिनियम के अधीन गठित विभिन्न निकायों के कार्य का निरीक्षण करना और उसकी प्रभावी कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करना;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ङ) राष्ट्रीय रजिस्ट्री के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करना और राज्य बोर्डों के साथ संपर्क बनाना;

(च) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए उपबंधों के अनुसार आदेश पारित करना; और

(छ) ऐसे कोई अन्य कृत्य, जो विहित किए जाएं।

आ. राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड

सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड।

6. सरोगेसी अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन गठित किया जाने वाला राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य बोर्ड होगा।

राज्य बोर्ड के संबंध में सरोगेसी अधिनियम के उपबंधों का लागू होना।

7. इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए,—

(i) राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड का गठन;

(ii) राज्य बोर्ड की संरचना;

(iii) राज्य बोर्ड के सदस्यों की पदावधि;

(iv) राज्य बोर्ड की बैठकों;

(v) रिक्तियों, आदि से राज्य बोर्ड की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना;

(vi) राज्य बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हताओं;

(vii) विशिष्ट प्रयोजनों के लिए राज्य बोर्ड से व्यक्तियों के अस्थायी सहयोजन;

(viii) राज्य बोर्ड के आदेशों और लिखतों के अधिप्रमाणन; और

(ix) पुनर्नियुक्ति के लिए राज्य बोर्ड के सदस्य की पात्रता,

से संबंधित सरोगेसी अधिनियम के उपबंध, जहां तक उनका संबंध सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी से हैं, यथावश्यक परिवर्तन सहित सरोगेसी के संबंध में वैसे ही लागू होंगे मानो वे इस अधिनियम के अधीन अधिनियमित हों।

राज्य बोर्ड की शक्तियां और कृत्य।

8. (1) इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन रहते हुए, राज्य बोर्ड का, राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा राज्य में क्लीनिकों और बैंकों के लिए अधिकथित नीतियों और योजनाओं का अनुसरण करने का दायित्व होगा।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य बोर्ड, राष्ट्रीय बोर्ड की सिफारिशों, नीतियों और विनियमों को ध्यान में रखते हुए,—

(क) सहायताप्राप्त जनन के लिए नीतियों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के प्रवर्तन और क्रियान्वयन का समन्वय करेगा; और

(ख) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और अन्य कृत्य करेगा, जो विहित किए जाएं।

(3) राज्य बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करते हुए ऐसे निदेश देगा या ऐसे आदेश पारित करेगा, जो राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा निदेशित किए जाएं।

इ. राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी रजिस्ट्री और समुचित सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी प्राधिकरण

क्लीनिकों और बैंकों की राष्ट्रीय रजिस्ट्री की स्थापना।

9. केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम और सरोगेसी अधिनिमय के प्रयोजनों के लिए, राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी रजिस्ट्री नामक एक रजिस्ट्री की स्थापना कर सकेगी।

राष्ट्रीय रजिस्ट्री की संरचना।

10. धारा 9 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय रजिस्ट्री ऐसे वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक और सहायोगी कर्मचारिवृंद से मिलकर बनेगी और उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

11. राष्ट्रीय रजिस्ट्री, निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात्:— राष्ट्रीय रजिस्ट्री के कृत्य।

(क) यह देश में ऐसे केन्द्रीय डाटाबेस के रूप में कार्य करेगी जिसके माध्यम से नियमित आधार पर देश के सभी क्लीनिकों और बैंकों के ब्यौरे, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा उपलब्ध करवाई गई सेवाओं की प्रकृति और प्रकार भी हैं, सेवाओं के परिणाम और अन्य सुसंगत सूचना अभिप्राप्त किए जाएंगे;

(ख) यह राष्ट्रीय बोर्ड की रजिस्ट्री के केन्द्रीय डाटाबेस से सृजित डाटा उपलब्ध करवाकर उसके कार्यकरण में सहायता करेगी;

(ग) राष्ट्रीय रजिस्ट्री से सृजित डाटा का राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा, नीति और मार्गदर्शक सिद्धांत बनाने में उपयोग किया जाएगा और वह नवीन अनुसंधान क्षेत्रों की पहचान करने और देश में सहायताप्राप्त जनन के क्षेत्रों में और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करने में सहायक होगा; और

(घ) ऐसे अन्य कृत्य जो विहित किए जाएं।

12. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम और सरोगेसी अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, हर एक संघ राज्यक्षेत्र के लिए एक या अधिक समुचित सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी प्राधिकारी नियुक्त करेगी। समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति।

(2) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से नब्बे दिन के भीतर अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम और सरोगेसी अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए एक या अधिक समुचित सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी प्राधिकारी नियुक्त करेगी।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन समुचित प्राधिकारी,—

(क) जब नियुक्ति संपूर्ण राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए की जाएगी तो वह निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,—

(i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव की पंक्ति का या उससे ऊपर की पंक्ति का कोई अधिकारी-अध्यक्ष, पदेन;

(ii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक की पंक्ति का या उससे ऊपर की पंक्ति का कोई अधिकारी-उपाध्यक्ष, पदेन;

(iii) महिला संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई ख्यातिप्राप्त महिला-सदस्य;

(iv) संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधि विभाग का कोई अधिकारी जो उप सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो-सदस्य,पदेन; और

(v) कोई ख्यातिप्राप्त रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी-सदस्य:

परन्तु उसमें हुई किसी रिक्ति को ऐसी रिक्ति की तारीख से एक मास के भीतर भरा जाएगा;

(ख) जब कोई नियुक्ति राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी भाग के लिए की जाएगी तो उसमें ऐसी पंक्ति के अधिकारी होंगे जिन्हें, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ठीक समझे।

(4) पदेन सदस्यों से भिन्न, समुचित प्राधिकारी के सदस्य ऐसे प्राधिकरण की बैठकों में भाग लेने के लिए केवल प्रतिकारात्मक यात्रा व्यय प्राप्त करेंगे।

13. समुचित प्राधिकारी निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:— समुचित प्राधिकारी के कृत्य।

(क) किसी क्लीनिक या बैंक का रजिस्ट्रीकरण करना, उसका निलंबन या रद्द करना;

(ख) क्लीनिक या बैंक द्वारा पूरे किए जाने वाले मानकों का प्रवर्तन;

(ग) इस अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के भंग से संबंधित शिकायतों का अन्वेषण करना और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विधिक कार्रवाई करना;

(घ) किसी व्यक्ति द्वारा सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग के विरुद्ध समुचित विधिक कार्रवाही करना और ऐसे मामले में स्वतंत्र अन्वेषण भी प्रारंभ करना;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ङ) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करना;

(च) प्रौद्योगिकी या सामाजिक स्थितियों में परिवर्तनों के अनुसार नियमों और विनियमों में अपेक्षित उपान्तरणों के बारे में राष्ट्रीय बोर्ड और राज्य बोर्ड को सिफारिश करना;

(छ) सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिकों या बैंकों के विरुद्ध उसे प्राप्त शिकायतों के अन्वेषण के पश्चात् कार्रवाही करना; और

(ज) ऐसे अन्य कृत्य, जो विहित किए जाएं।

समुचित प्राधिकारी की शक्तियां।

14. (1) समुचित प्राधिकारी, निम्नलिखित विषयों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करेगा, अर्थात्:—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को समन करना जिसके कब्जे में इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन से संबंधित कोई जानकारी है;

(ख) खंड (क) से संबंधित किसी दस्तावेज या सारवान् वस्तु को पेश करना;

(ग) किसी ऐसे स्थान की तलाशी लेना जहां इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन होने का संदेह है; और

(घ) ऐसी अन्य शक्तियां जो विहित की जाएं।

(2) समुचित प्राधिकारी, सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिकों और बैंकों के रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण, रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, कमिशनिंग दंपत्ति और महिला को दिए गए प्रमाणपत्रों या अनुज्ञप्ति देने से संबंधित किसी अन्य विषय और वैसे ही क्लीनिक या बैंकों के ब्यौरे ऐसे रूपविधान में अनुरक्षित करेगा जो विहित किया जाए और उसे राष्ट्रीय बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

अध्याय 3

रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया

सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिक या सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी बैंक का रजिस्ट्रीकरण।

15. (1) कोई व्यक्ति, सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य करने के लिए या किसी रूप में सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं को करने के लिए किसी क्लीनिक या बैंक की स्थापना तब तक नहीं करेगा जब तक ऐसा क्लीनिक या बैंक इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत न हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन, समुचित सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी प्राधिकारी के माध्यम से राष्ट्रीय रजिस्ट्री को ऐसे प्ररूप, ऐसी रीति से किया जाएगा और उसके साथ ऐसी फीस संलग्न होगी, जो विहित की जाए।

(3) ऐसा प्रत्येक क्लीनिक या बैंक, जो आंशिक रूप से या अनन्य रूप से सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी का संचालन कर रहा है, राष्ट्रीय रजिस्ट्री की स्थापना की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा:

परंतु ऐसे क्लीनिक और बैंक, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास की समाप्ति पर ऐसे क्लीनिकों और बैंकों द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने और पृथक् रूप से इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत हो जाने तक या ऐसे आवेदन का निपटारा होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, कोई ऐसे परामर्श देने या प्रक्रियाओं का संचालन करना बन्द कर देंगे।

(4) इस अधिनियम के अधीन किसी क्लीनिक या बैंक को तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक समुचित प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसे क्लीनिक और बैंक, ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की और ऐसे उपस्करों और मानकों जो विहित किए जाएं, जिसके अंतर्गत विशेषज्ञ व्यक्तियों की संख्या, भौतिक अवसरंचना और नैदानिक सुविधाएं भी है, के अनुरक्षण की स्थिति में हैं।

रजिस्ट्रीकरण प्रदान करना।

16. (1) समुचित प्राधिकारी, धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, तीस दिन की अवधि के भीतर–

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(i) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करेगा और रजिस्ट्रीकरण संख्या देगा; या

(ii) यदि ऐसा आवेदन इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अनुरूप नहीं है तो लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से आवेदन को नामंजूर करेगा:

परंतु कोई आवेदन तब तक नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक को मामले में सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है।

(2) यदि समुचित प्राधिकारी, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने या उपधारा (1) के अधीन यथा उपबंधित आवेदन नामंजूर करने में असफल रहता है, तो समुचित प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् सात दिन के भीतर, आवेदन पर कार्रवाई न करने का कारण आवेदक को बताएगा।

(3) समुचित प्राधिकारी, इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किए जाने के एक मास की अवधि के भीतर राज्य बोर्ड को ऐसे रजिस्ट्रीकरण की सूचना देगी।

(4) राज्य बोर्ड इस धारा के अधीन आवेदित और अनुदत्त सभी रजिस्ट्रीकरण के अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा।

(5) जब तक राज्य बोर्ड आवेदक के परिसर का निरीक्षण नहीं कर लेता, तब तक कोई रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त नहीं किया जाएगा।

(6) इस धारा के अधीन अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण, समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक विधिमान्य रहेगा।

(7) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, क्लीनिक या बैंक द्वारा सहजदृश्य स्थान पर, संप्रदर्शित किया जाएगा और ऐसे प्रमाणपत्र में ऐसे रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता की अवधि अंतर्विष्ट होगी।

रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण।

17. आवेदक द्वारा आवेदन किए जाने पर, धारा 16 के अधीन अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण को समुचित प्राधिकारी द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन, ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, पांच वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा:

परंतु आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए किसी भी आवेदन को नामंजूर नहीे किया जाएगा।

रजिस्ट्रीकरण का निलंबन या रद्दकरण।

18. (1) समुचित प्राधिकारी, शिकायत के प्राप्त होने पर, बैंक या क्लीनिक को यह हेतुक दर्शित करने के लिए कोई सूचना जारी कर सकेगी कि सूचना में उल्लिखित कारणों से उसके रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

(2) यदि बैंक या क्लीनिक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, समुचित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन हुआ है, या आवधिक रूप से उनसे प्राप्त डाटा से हुआ है वह ऐसे अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों का समाधान नहीं होता है, तो यह किसी दांडिक कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके रजिस्ट्रीकरण को ऐसी अवधि के लिए जो वह ठीक समझे निलंबित कर सकेगा या उसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा।

(3) रजिस्ट्रीकरण के रद्द होने पर, रद्दकरण पत्र की एक प्रति संबंधित राज्य बोर्ड को प्रेषित की जाएगी और तदनुसार राज्य बोर्ड ऐसे क्लीनिकों और बैंकों का रजिस्ट्रीकरण रद्द करेगा।

अपील।

19. क्लीनिक या बैंक या कमिशनिंग दंपत्ति या स्त्री, धारा 16 या धारा 18 के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा आवेदन नामंजूर करने या उसके द्वारा पारित रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या रद्दकरण के आदेश से संबंधित संसूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, ऐसे आदेश के विरुद्ध ऐसी रीति में, जो विहित की जाए,—

(क) राज्य सरकार को वहां अपील कर सकेगी जहां अपील किसी राज्य के समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध है;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ख) केन्द्रीय सरकार को वहां अपील कर सकेगी जहां अपील किसी संघ राज्यक्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध है।

परिसर, आदि के निरीक्षण की शक्ति।

20. राष्ट्रीय बोर्ड, राष्ट्रीय रजिस्ट्री और राज्य बोर्ड अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपने कृत्यों निर्वहन में,—

(i) सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी से संबंधित किसी परिसर का निरीक्षण करने;

(ii) या किसी दस्तावेज़ या सामग्री को मंगाने,

की शक्ति होगी।

अध्याय 4

सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिक और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी बैंक के कर्तव्य

सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिकों और बैंकों के साधारण कर्त्तव्य।

21. क्लीनिक और बैंक निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेंगे, अर्थात्:—

(क) क्लीनिक और बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि, कमिशनिंग दंपत्ति, स्त्री और युग्मकों के दाता ऐसे मानदण्डों के अधीन रहते हुए जो विहित किया जाए, सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं का लाभ उठाने के पात्र हैं;

(ख) क्लीनिक, बैंकों से दाता के युग्मकों को प्राप्त करेंगे और ऐसे बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि दाता ऐसे रोगों, जो विहित किए जाएं, के लिए चिकित्सकीय रूप से परीक्षित किए गए हों;

(ग) क्लीनिक—

(i) कमिशनिंग दंपत्ति और स्त्री को क्लीनिक में सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं की सभी विवक्षाओं और सफलता की संभावनाओं के बारे में वृत्तिक परामर्श उपलब्ध कराएंगे;

(ii) कमिशनिंग दंपत्ति और स्त्री को प्रक्रियाओं के लाभों, अलाभों और खर्चे, उनके चिकित्सकीय अनुषंगी प्रभावों, बहु गर्भधारण के जोखिम सहित जोखिमों को सूचित करेंगे; और

(iii) कमिशनिंग दंपत्ति और स्त्री को ऐसे विषयों के संबंध में ऐसे सूचित निर्णय पर पहुंचने के लिए उनकी सहायता करेंगे जो कमिशनिंग दंपत्ति के लिए सर्वोत्तम होना संभाव्य है;

(घ) क्लीनिक सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से जन्मे बच्चे के अधिकारों की जानकारी कमिशनिंग दंपत्ति या स्त्री को देंगे;

(ङ) क्लीनिक और बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि कमिशनिंग दंपत्ति, स्त्री और दाता के बारे में जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और राष्ट्रीय रजिस्ट्री द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले डाटाबेस को, चिकित्सीय आपात की स्थिति में सिवाय ऐसे कमिशनिंग दंपत्ति के अनुरोध पर, जिससे जानकारी संबंधित है या सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के आदेश द्वारा किसी को भी प्रकट नहीं की जाएगी;

(च) प्रत्येक क्लीनिक और प्रत्येक बैंक ऐसे क्लीनिकों और बैंकों से संबंधित विषयों के संबंध में एक शिकायत प्रकोष्ठ अनुरक्षित करेंगे और ऐसे शिकायत प्रकोष्ठ के समक्ष की जाने वाली शिकायत की रीति वह होगी, जो विहित की जाए;

(छ) क्लीनिक निम्नलिखित के लिए सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी सेवाओं को लागू करेंगे,—

(i) इक्कीस वर्ष की आयु से ऊपर और पचास वर्ष की आयु से नीचे की स्त्री के लिए;

(ii) इक्कीस वर्ष की आयु से ऊपर और पचपन वर्ष की आयु से नीचे के पुरुष के लिए;

(ज) क्लीनिक, कमिशनिंग दंपति या स्त्री पर निष्पादित की गई सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी के ब्यौरे देते हुए उन्मोचन प्रमाणपत्र कमिशनिंग दंपति या स्त्री को जारी करेंगे;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(झ) सभी क्लीनिक और बैंक सहयोग करेंगे और राष्ट्रीय बोर्ड, राष्ट्रीय रजिस्ट्री और राज्य बोर्डों के द्वारा भौतिक निरीक्षण के लिए अपने परिसर को उपलब्ध कराएंगे;

(ञ) सभी क्लीनिक और बैंक, निम्नलिखित से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध कराएंगे,—

(i) कमिशनिंग दंपति, स्त्री और युग्मक दाताओं का नामांकन;

(ii) की जा रही प्रक्रिया; और

(iii) प्रक्रिया के परिणाम, जटिलताएं, यदि कोई हों, राष्ट्रीय रजिस्ट्री को, आवधिक रूप से ऐसी रीति में, जो विहित की जाए।

सूचित लिखित सहमति।

22. (1) क्लीनिक, निम्नलिखित के बिना कोई उपचार या प्रक्रिया संपादित नहीं करेगा,—

(क) सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी की ईप्सा करने वाले सभी पक्षकारों की लिखित रूप में सूचित सहमति के बिना;

1999 का 41

(ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के उपबंधों के अधीन स्थापित, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बीमा कंपनी या किसी अभिकर्ता से कमिशनिंग दंपति या स्त्री द्वारा डिम्बाणुजन कोशिका दाता के पक्ष में बारह मास की अवधि के लिए ऐसी रकम का, जो विहित की जाए, बीमा आवरण के बिना।

(2) कोई क्लीनिक या बैंक, किसी पक्षकार की असमर्थता या मृत्यु की स्थिति में सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी की ईप्सा करने वाले सभी पक्षकारों की लिखित सहमति और विनिर्दिष्ट अनुदेशों के बिना कोई मानव भ्रूण या युग्मक, कम तापमान पर परिरक्षित नहीं करेगा।

(3) क्लीनिक, सिवाय इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, किसी मानव प्रजनन सामग्री का उपयोग, किसी प्रयोजन के लिए मानव भ्रूण का सृजन या कांच की परखनली में रखे मानव भ्रूण का उपयोग उन सभी संबंधित व्यक्तियों की विनिर्दिष्ट लिखित सहमति के बिना नहीं करेंगे जिनसे सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी संबंधित है।

(4) कोई भी कमिशनिंग दंपति, युग्मकों या मानव भ्रूणों के संबंधित स्त्री के गर्भाशय में अंतरित होने के पूर्व किसी भी समय उपधारा (1) के अधीन उसका या उसकी सहमति वापस ले सकेंगे।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(i) ''क्राइयो-प्रिजर्व'' पद से शरीर से पृथक किए गए युग्मकों, युग्मनजों, भ्रूणों, डिम्ब ग्रन्थियों और अण्ड ग्रन्थिक उतकों को भविष्य में अन्य व्यक्ति में प्रयोग में लाने के लिए बहुत ही कम तापमान पर परिरक्षित करके भंडारण और प्रशीतन करना अभिप्रेत है;

(ii) ''बीमा'' पद से ऐसा ठहराव अभिप्रेत है, जिसके द्वारा कोई कंपनी, व्यष्टि या कमिशनिंग दंपति डिम्बाणुजन कोशिका के पुनःस्थापन की प्रक्रिया के दौरान विनिर्दिष्ट डिम्बाणुजन कोशिका दाता की हानि, नुकसान, जटिलता या मृत्यु के लिए प्रतिकर की गारंटी देने का वचन देता है;

(iii) ''पक्षकार'' पद के अंतर्गत कमिशनिंग दंपति या स्त्री और दाता सम्मिलित है।

सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिकों और बैंकों का सही अभिलेखों को रखने का कर्तव्य।

23. क्लीनिकों और बैंकों से संबंधित अभिलेखों को रखते समय ऐसे क्लीनिकों और बैंकों के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे,—

(क) सभी क्लीनिक और बैंक डिम्बाणुजन कोशिका दाताओं, प्रयुक्त या अप्रयुक्त शुक्राणु या भ्रूण का, उनके प्रयोग की रीति और तकनीक का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, विस्तृत अभिलेख रखेंगे;

(ख) सभी क्लीनिक और बैंक, राष्ट्रीय रजिस्ट्री को, जब भी स्थापित की जाती है, निम्नलिखित ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत करेंगे,—

(i) कमिशनिंग दंपति या स्त्री की प्रगति के संबंध में उनके पास उपलब्ध सभी सूचनाएं; और

(ii) दाताओं (शुक्राणु और डिम्बाणुजन कोशिका) की संख्या के बारे में स्क्रीन की गई, अनुरक्षित और प्रदाय की गई तथा समरूप सूचनाएं, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर राष्ट्रीय रजिस्ट्री को प्रस्तुत करेंगे;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ग) खंड (क) के अधीन अनुरक्षित अभिलेख कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिए अनुरक्षित किए जाएंगे जिसकी समाप्ति पर क्लीनिक और बैंक, अभिलेखों को राष्ट्रीय रजिस्ट्री के केंद्रीय डाटाबेस को अंतरित करेंगे:

परंतु यदि किसी क्लीनिक या बैंक के विरुद्ध कोई आपराधिक या अन्य कार्यवाहियां संस्थित हैं तो ऐसी क्लीनिकों या बैंकों के अभिलेख और सभी अन्य दस्तावेजों को ऐसी कार्यवाहियों का अंतिम रूप से निपटारा होने तक संरक्षित रखा जाएगा;

(घ) खंड (ग) के अधीन दस वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व, किसी क्लीनिक या बैंक के बंद होने की दशा में, ऐसा क्लीनिक या बैंक, अभिलेखों को तुरंत राष्ट्रीय रजिस्ट्री के केंद्रीय डाटाबेस को अंतरित करेगा; और

(ङ) सभी ऐसे अभिलेखों को, सभी युक्तियुक्त समय पर निरीक्षण के लिए राष्ट्रीय बोर्ड या राष्ट्रीय रजिस्ट्री या राज्य बोर्ड या राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा।

मानव युग्मकों और भ्रूणों का प्रयोग करने वाले सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिकों के कर्तव्य।

24. क्लीनिकों और बैंकों द्वारा, मानव युग्मकों और भ्रूणों का प्रयोग करते समय पालन किए जाने वाले कर्तव्य इस प्रकार से हैं,-

(क) क्लीनिक ऐसी रीति से, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, डिम्बाणुजन कोशिकाओं की पुन:प्राप्ति करेंगे;

(ख) उपचार चक्र के दौरान तीन से अनधिक युग्मनजों या भ्रूणों को स्त्री के गर्भाशय में ऐसी रीति में रखा जाएगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए;

(ग) कोई स्त्री किसी एक उपचार चक्र के दौरान एक से अधिक पुरुष या स्त्री से लिए गए युग्मकों या भ्रूणों से उपचारित नहीं की जाएगी;

(घ) क्लीनिक इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के लिए दो व्यष्टियों से लिए गए वीर्य को कभी नहीं मिलाएगा;

(ङ) उपलब्ध भ्रूणों की संख्या की वृद्धि करने के लिए भ्रूणों को विभाजित और युग्मन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा;

(च) मरणोपरांत युग्मकों का संग्रह केवल तभी किया जाएगा जब कमिशनिंग दंपत्ति की पूर्व सहमति ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उपलब्ध है;

(छ) क्लीनिक, ऐसे अंडाणु का प्रयोग नहीं करेगा जो कांच की परखनली में निषेचन की किसी प्रक्रिया में किसी गर्भ से लिया गया है; और

(ज) ऐसे अन्य कर्तव्य, जो विहित किए जाएं।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) ''निषेचन'' पद से शुक्राणु द्वारा अंडाणु का वेधन और आनुवंशिक सामग्रियों का संयोजन अभिप्रेत है, जिसके परिणामस्वरूप युग्मनज का विकास होता है;

(ii) ''गर्भ'' पद से निषेचन के पश्चात् सतावनवें दिन से प्रारम्भ होने वाली और शिशु के जन्म या गर्भपात पर समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कोई विकसित होने वाला मानवीय जीव अभिप्रेत है।

पूर्व-गर्भ रोपण आनुवंशिक निदान।

25. (1) मानव भ्रूण की स्क्रीनिंग हेतु पूर्व-गर्भ रोपण आनुवंशिक परीक्षण का प्रयोग ज्ञात, पूर्व विद्यमान आनुवंशिक या वंशानुगत रोगों के लिए किया जाएगा।

(2) पूर्व-गर्भ रोपण आनुवंशिक निदान के पश्चात् एक भ्रूण का दान अनुमोदित अनुसंधान प्रयोगशाला को अनुसंधान के प्रयोजन के लिए केवल—

(क) कमिशनिंग दंपति या स्त्री के अनुमोदन से; और

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ख) जब भ्रूण पूर्व-विद्यमान, वंशानुगत, जीवन-संकट या आनुवंशिक रोगों से ग्रस्त हो,

तब ही किया जाएगा।

(3) राष्ट्रीय बोर्ड, ऐसी अन्य शर्तों को अधिकथित कर सकेगा जो यह पूर्व-गर्भ रोपण आनुवंशिक परीक्षण के हित में ठीक समझे।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) ''पूर्व-गर्भ रोपण आनुवंशिक निदान'' पद से ऐसा आनुवंशिक निदान, अभिप्रेत हैं, जब एक या दोनों आनुवंशिक माता-पिता किसी ज्ञात आनुवंशिक असामान्यता वाले हों और भ्रूण पर परीक्षण यह अवधारित करने के लिए निष्पादित हुआ है कि क्या यह भी किसी आनुवंशिक असामान्यता का वहन करता है; और

(ii) ''पूर्व-गर्भ रोपण आनुवंशिक परीक्षण'' पद से ऐसी तकनीक अभिप्रेत हैं, जो गर्भधारण के पूर्व कांच की परखनली में निषेचन के माध्यम से सृजित भ्रूणों में आनुवंशिक कमियों की पहचान करने के लिए प्रयुक्त हुई है।

1994 का 57 **26.** (1) गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, क्लीनिक, किसी दंपति या स्त्री को पूर्व निर्धारित लिंग के शिशु को प्रदान किए जाने का प्रस्ताव नहीं करेगा। लिंग चयन।

(2) यह किसी के लिए भी प्रतिषिद्ध होगा कि वह एक्स या वाई विविधताओं के शुक्राणुओं में संवर्धित विखंडन का पृथक या उत्पन्न करके सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया के माध्यम से जन्म लेने वाले शिशु के लिंग का निर्धारण करने के लिए, किसी प्रक्रम पर कोई कार्य करे।

(3) कोई व्यक्ति निदान, निवारण या किसी लिंग संबंधी रोग या व्याधि के उपचार के सिवाय, जानबूझकर कोई भी ऐसी चीज न तो प्रदान करेगा, न विहित करेगा या न ही दवा देगा जो इस बात की संभावना को सुनिश्चित करे या उसकी वृद्धि करे कि कोई भ्रूण एक विशिष्ट लिंग का है या वह एक कांच की परखनली में भ्रूण के लिंग की पहचान करेगा।

27. (1) युग्मक दाताओं की स्क्रीनिंग, वीर्य के संग्रहण, प्रतिच्छादन और भंडारण और डिम्बाणुजन कोशिका दाता का उपबंध केवल इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में रजिस्ट्रीकृत बैंक के द्वारा ही किया जाएगा। सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिकों और बैंकों द्वारा युग्मकों का स्रोत।

(2) बैंक—

(क) इक्कीस वर्ष की आयु और पचपन वर्ष की आयु, जिसमें दोनों सम्मिलित हैं, के बीच के पुरुषों से वीर्य को प्राप्त करेंगे;

(ख) तेईस वर्ष की आयु और पैंतीस वर्ष की आयु के बीच की स्त्रियों से डिम्बाणुजन कोशिकाओं को प्राप्त करेंगे; और

(ग) दाताओं की ऐसे रोगों के लिए परीक्षा करेंगे, जो विहित किए जाएं।

(3) कोई बैंक एकल दाता के शुक्राणु या डिम्बाणुजन कोशिका को एक से अधिक कमिशनिंग दंपति को प्रदान नहीं करेगा।

(4) एक डिम्बाणुजन कोशिका दाता अपने जीवन में केवल एक बार डिम्बाणुजन कोशिका का दान करेगी और डिम्बाणुजन कोशिका दाता से सात से अधिक डिम्बाणुजन कोशिका का प्रतिनयन नहीं किया जाएगा।

(5) बैंकों द्वारा सभी अप्रयुक्त डिम्बाणुजन कोशिकाएं उसी प्राप्तिकर्ता पर उपयोग के लिए परिरक्षित की जाएंगी या कमिशनिंग दंपति से लिखित सहमति लेने के पश्चात् इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी संगठन को अनुसंधान के लिए दी जाएगी।

(6) बैंक शुक्राणु या डिम्बाणुजन कोशिका दाता के संबंध में ऐसे दाता के नाम, आधार (वित्तीय और
2016 का 18 अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (क)

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

में यथापरिभाषित आधार संख्या सहित पता और कोई अन्य ब्यौरे ऐसी रीति में प्राप्त करेगा जो विहित की जाए और ऐसे दाता से ऐसी जानकारी की गोपनीयता के बारे में लिखित में वचनबंध लेगा।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) ''प्रतिनयन (रिट्रीवल)'' पद से किसी स्त्री के गर्भाशय से डिम्बाणुजन कोशिका को निकालने की प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(ii) ''प्रतिच्छादन'' पद से कांच की परखनली में निषेचन के माध्यम से उत्पन्न भ्रूणों पर निष्पादित आनुवंशिक परीक्षण अभिप्रेत है।

मानव युग्मकों और भ्रूणों का भंडारण और उनको संभालना।

28. (1) युग्मकों, जननग्रंथि ऊतकों और मानव भ्रूणों की सुरक्षा, अभिलेखन और पहचान के संबंध में भंडारण और उनको संभालने के लिए मानक ऐसे होंगे जो विहित किए जाएं।

(2) दाता का युग्मक या भ्रूण दस वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए भंडारित किया जाएगा और ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसे भ्रूण या युग्मक को नष्ट करने या कमिशनिंग दंपति या व्यष्टि की सहमति से अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी अनुसंधान संगठन को दान करने हेतु ऐसी रीति से अनुज्ञात किया जाएगा जो विहित की जाए।

मानव युग्मकों, युग्मजों और भ्रूणों के विक्रय पर निर्बंधन।

29. युग्मकों, युग्मजों और भ्रूणों या उनके किसी भाग या उनसे संबंधित किसी सूचना का, राष्ट्रीय बोर्ड की अनुमति से व्यक्तिगत उपयोग के लिए स्वयं के युग्मकों और भ्रूणों के अंतरण की दशा के सिवाय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी पक्षकार को भारत के भीतर या बाहर विक्रय, अंतरण या प्रयोग प्रतिषिद्ध है।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''युग्मज'' पद से पहली कोशिका विभाजन के पूर्व निषेचित डिम्बाणुजन कोशिका अभिप्रेत है।

मानव भ्रूण और युग्मकों पर अनुसंधान।

30. (1) किन्हीं मानव युग्मकों और भ्रूणों का उपयोग या भारत के बाहर किसी देश को अनुसंधान के लिए उनका अंतरण पूर्ण रूप से प्रतिषिद्ध है।

(2) मानव भ्रूण या युग्मकों का अनुसंधान भारत के भीतर केवल ऐसी रीति से निष्पादित किया जाएगा जो विहित की जाए।

सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से जन्में बालकों का अधिकार।

31. (1) सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से जन्मा बालक कमिशनिंग दंपति का जैविक बालक समझा जाएगा और उक्त बालक ऐसे सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन केवल कमिशनिंग दंपति से उत्पन्न प्राकृतिक बालक को उपलब्ध है।

(2) दाता उस बालक या बालकों, जिसे उसकी या उसके युग्मक से जन्म दिया गया है, के ऊपर सभी जनकीय अधिकारों का परित्याग करेगा।

अध्याय 5

अपराध और शास्तियां

चयनात्मक लिंग सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी।

32. (1) कोई क्लीनिक या बैंक या उसका अभिकर्ता, चयनात्मक लिंग सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी की सुविधाओं के संबंध में इंटरनेट सहित किसी भी रीति से कोई विज्ञापन जारी, प्रकाशित, वितरित या संसूचित नहीं करेगा या जारी, प्रकाशित, वितरित या संसूचित नहीं करवाएगा।

(2) जो कोई उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा।

अपराध और शास्तियां।

33. (1) कोई चिकित्सा आनुवंशिकीविद्, स्त्री रोग विशेषज्ञ, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी या कोई व्यक्ति—

(क) सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से जन्मे बालक या बालकों को किसी भी रूप में परित्यक्त, अस्वीकार या उनका शोषण नहीं करेगा या परित्यक्त, अस्वीकार या उनका शोषण नहीं करवाएगा;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ख) मानव भ्रूण या युग्मकों का विक्रय नहीं करेगा, मानव भ्रूणों या युग्मकों के क्रय विक्रय या व्यापार के लिए कोई अभिकरण, रैकेट या संगठन नहीं चलाएगा;

(ग) मानव भ्रूण या मानव युग्मकों का आयात या चाहे किसी भी रीति से उनको आयातित करने में सहायता नहीं करेगा;

(घ) किसी भी रूप में कमिशनिंग दंपति, स्त्री या युग्मक दाता का शोषण नहीं करेगा;

(ङ) मानव भ्रूण को पुरुष व्यक्ति या किसी पशु में अंतरित नहीं करेगा;

(च) अनुसंधान के प्रयोजन के लिए किसी मानव भ्रूण या युग्मक का विक्रय नहीं करेगा; या

(छ) युग्मक दाताओं को प्राप्त करने के लिए या युग्मक दाताओं को खरीदने के लिए किसी मध्यस्थ का उपयोग नहीं करेगा।

(2) जो कोई उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (छ) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो पहली बार उल्लंघन के लिए दस लाख रुपए तक हो सकेगा, से दंडनीय होगा और पश्चात्वर्ती उल्लंघन के लिए कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आठ वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो बीस लाख रुपए तक का हो सकेगा, जो दंडनीय होगा।

अधिनियम या नियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड, जिसके लिए कोई विनिर्दिष्ट दंड का उपबंध नहीं किया गया है।

34. जो कोई इस अधिनियम के किन्ही उपबंधों का या उसके अधीन बनाए गए किन्ही नियमों का उल्लंघन करेगा, जिनके लिए इस अधिनियम में किसी शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, वह धारा 33 की उपधारा (2) के अनुसार दंडनीय होगा।

अपराधों का संज्ञान।

35. (1) कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान राष्ट्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड या इसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के द्वारा किए गए परिवाद के सिवाय नहीं करेगा।

(2) महानगर मजिस्ट्रेट या किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

अपराधों का संज्ञेय और जमानतीय होना।

1974 का 2 **36.** दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध संज्ञेय और जमानतीय होंगे।

क्लीनिकों या बैंकों द्वारा अपराध।

37. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी क्लीनिक या बैंक द्वारा किया गया है, वहां ऐसे क्लीनिक या बैंक का कार्यकारी प्रमुख उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा, जब तक वह यह साबित नहीं करता कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को किए जाने का निवारण करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी क्लीनिक या बैंक द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध क्लीनिक या बैंक के कार्यकारी प्रमुख से भिन्न, किसी अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है, या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां वह अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

राष्ट्रीय बोर्ड, राष्ट्रीय रजिस्ट्री और समुचित प्राधिकारी को निदेश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

38. (1) केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में राष्ट्रीय बोर्ड, राष्ट्रीय रजिस्ट्री और समुचित प्राधिकारी को ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता के हित में आवश्यक समझे।

(2) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राष्ट्रीय बोर्ड, राष्ट्रीय रजिस्ट्री और समुचित प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने कृत्यों का पालन करने में नीति

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

विषयक प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा आबद्ध होंगे जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार उसे समय-समय पर लिखित में दें:

परंतु राष्ट्रीय बोर्ड को, यथासाध्य उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश दिए जाने के पूर्व, अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(3) यदि केन्द्रीय सरकार और राष्ट्रीय बोर्ड के बीच इस बारे में विवाद उद्भूत होता है कि क्या कोई प्रश्न नीति विषयक है अथवा नहीं, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

राज्य सरकार की राज्य बोर्ड, आदि को निदेश देने की शक्ति।

39. (1) राज्य सरकार, समय-समय पर, राज्य सरकार के संबंध में, राज्य बोर्ड और समुचित प्राधिकारी को ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता के हित में आवश्यक समझे।

(2) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य बोर्ड और समुचित प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग या अपने कृत्यों का पालन करने में, नीति विषयक प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा आबद्ध होगा जो राज्य सरकार समय-समय पर लिखित में दे:

परंतु राज्य बोर्ड और समुचित प्राधिकारी को, यथासाध्य उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश दिए जाने के पूर्व, अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(3) यदि राज्य सरकार और राज्य बोर्ड के बीच इस बारे में कोई विवाद उद्भूत होता है कि क्या प्रश्न नीति विषयक है अथवा नहीं, तो इस बारे में राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

तलाशी लेने और अभिलेखों, आदि के अभिग्रहण करने की शक्ति।

40. (1) यदि राष्ट्रीय बोर्ड, राष्ट्रीय रजिस्ट्री या राज्य बोर्ड को यह विश्वास करने का कोई कारण है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी सुविधा का उपयोग करते हुए किया गया है या किया जा रहा है तो ऐसा बोर्ड या इस निमित प्राधिकृत कोई अधिकारी, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाए, सभी युक्तियुक्त समयों पर, ऐसी सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली सुविधाओं को ऐसी सहायता के साथ, यदि कोई हो, जिसे ऐसा बोर्ड या अधिकारी आवश्यक समझे, प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा और वहां पाए गए किसी अभिलेख रजिस्टर, दस्तावेज, पुस्तक, पुस्तिका, विज्ञापन या किसी अन्य भौतिक पदार्थ की परीक्षा कर सकेगा और उसे अभिगृहीत करेगा, यदि उक्त बोर्ड के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उससे इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध के किए जाने का साक्ष्य मिल सकता है।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित उपबंध, जहां तक हो सके, इस अधिनियम के अधीन ली गई तलाशी या अभिग्रहण को लागू होंगे। 1974 का 2

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

41. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय बोर्ड या राष्ट्रीय रजिस्ट्री या राज्य बोर्ड या समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के विरूद्ध नहीं होगी।

नियम बनाने की शक्ति।

42. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 5 के खंड (छ) के अधीन राष्ट्रीय बोर्ड की अन्य शक्तियां और कृत्य;

(ख) धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन राज्य बोर्ड की अन्य शक्तियां और कृत्य;

(ग) धारा 10 के अधीन राष्ट्रीय रजिस्ट्री के वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य कर्मचारियों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(घ) धारा 11 के खंड (घ) के अधीन राष्ट्रीय रजिस्ट्री के अन्य कृत्य;

(ङ) धारा 13 के खंड (ज) के अधीन समुचित प्राधिकारी के अन्य कृत्य;

(च) धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली अन्य शक्तियां;

(छ) धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा क्लीनिक या बैंक को अनुज्ञप्ति देने का रूपविधान;

(ज)वह प्रक्रिया और प्ररूप जिसमें धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाएगा और उसके लिए संदेय फीस;

(झ) धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन क्लीनिकों और बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं और उनके द्वारा अनुरक्षित उपस्कर;

(ञ) धारा 17 के अधीन क्लीनिक या बैंक के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की शर्तें, उसके लिए आवेदन का प्ररूप और फीस;

(ट) वह रीति जिसमें धारा 19 के अधीन राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार को अपील की जा सकेगी;

(ठ) धारा 21 के खंड (क) के अधीन सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्धोगिकी प्रक्रियाओं का उपयोग करने के लिए मानदंड;

(ड) उन रोगों की चिकित्सीय परीक्षा जिनके संबंध में दाता की धारा 21 के खंड (ख) के अधीन परीक्षा की जाएगी;

(ढ) धारा 21 के खंड (च) के अधीन शिकायत तंत्र के समक्ष शिकायत करने की रीति और क्लीनिक द्वारा अंगीकृत तंत्र;

(ण) धारा 21 के खंड (ञ) के अधीन क्लीनिकों और बैंकों द्वारा राष्ट्रीय रजिस्ट्री को सूचना उपलब्ध कराने की रीति;

(त) धारा 22 के उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन डिम्बाणुजन कोशिकादाता के लिए बीमा कवरेज की रीति;

(थ) धारा 23 के खंड (क) के अधीन क्लीनिकों और बैंकों द्वारा अभिलेखों के अनुरक्षण की रीति;

(द) धारा 24 के खंड (च) के अधीन मरणोपरांत युग्मकों के संग्रहण की रीति;

(ध) धारा 24 के खंड (ज) के अधीन क्लीनिकों के अन्य कर्तव्य;

(न) धारा 27 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन ऐसे रोगों के लिए सहायताप्राप्त जननीय प्रौदयोगिकी बैंकों द्वारा दाताओं की परीक्षा;

(प) धारा 27 की उपधारा (6) के अधीन बैंक द्वारा शुक्राणु या डिम्बाणुजन कोशिका दाता के संबंध में सूचना अभिप्राप्त करने की रीति;

(फ) धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन युग्मकों, मानव भ्रूणों की सुरक्षा, अभिलेखन और पहचान के संबंध में उनके भंडारण और उन्हें संभाल कर रखने के लिए मानक;

(ब) धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन किसी दाता के युग्मकों या भ्रूण नष्ट करने या दान करने के लिए कमिशनिंग दंपत्ति या व्यष्टि की सहमति अभिप्राप्त करने की रीति;

(भ) धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन भारत में मानव युग्मकों या भ्रूणों पर शोध करने की रीति;

(म) धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय बोर्ड, राष्ट्रीय रजिस्ट्री या राज्य बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रवेश करने और तलाशी की रीति;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(य) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किए जाने है।

विनियम बनाने की शक्ति।

43. (1) राष्ट्रीय बोर्ड, अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से सुसंगत विनियम बना सकेगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा।

(क) धारा 24 के खंड (क) के अधीन डिम्बाणुजन कोशिकाओं के प्रतिनयन की रीति;

(ख) धारा 24 के खंड (ख) के अधीन डिम्बाणुजन कोशिकाओं या भ्रूणों को स्त्री के गर्भाशय में रखे जाने की रीति;

(ग) कोई अन्य विषय, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए या जिसका किया जाना अपेक्षित है या जिसके संबंध में विनियमों द्वारा उपबंध किया जाना अपेक्षित हो।

नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का रखा जाना।

44. इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम या विनियम और जारी की गई अधिसूचना, बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रकिम सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, उन नियमों या विनियमों या अधिसूचनाओं में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् यथास्थिति, नियम या विनियम या अधिसूचना को ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम और विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु, यथास्थिति, नियम या विनियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अन्य विधियों का लागू होना वर्जित न होना।

45. इस अधिनियम के उपबंध गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 और नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियनम) अधिनियम, 2010 या तत्समय प्रवृत्त 1994 का 57
किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में। 2010 का 23

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

46. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों या उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसे बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

————